जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 29.06.2025**

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 231/25 धारा 137(2) / 64 / 87 बीएनएस व धारा ¾ पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.06.2025 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी की वादी की 14 वर्षीय पुत्री को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 231/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बंधित अपहृता को बरामद किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64/87 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त नदीम सलमानी पुत्र नसीम सलमानी निवासी बुध्ढी मंडावली थाना मंडावली जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 29.06.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त नदीम सलमानी पुत्र नसीम सलमानी निवासी बुध्ढी मंडावली थाना मंडावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नदीम सलमानी पुत्र नसीम सलमानी निवासी बुध्ढी मंडावली थाना मंडावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3.हे0कां0 360 बृजपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4.कां0 96 प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 29.06.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 217/25 धारा 108 बीएनएस में प्रकाश में आये अभियुक्त को मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.06.2025 को थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम टण्डेरा में एक परिवार जिसमें पति-पत्नी व 02 लड़कियों क्रमशः 1.पुखराज (उम्र करीब 50 वर्ष) पुत्र हरदेवा 2.रमेशिया (उम्र करीब 50 वर्ष) पत्नी पुखराज 3.कु0 अनीता (उम्र करीब 17 वर्ष) 4.सुनीता उर्फ शीतू (उम्र करीब 19 वर्ष) पुत्रीगण पुखराज द्वारा जहरीले पदार्थ (सल्फॉज की गोली) का सेवन कर लेने की सूचना प्राप्त हुई।

सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी को सीएचसी नूरपुर में भर्ती कराया गया, जहां से सभी को अग्रिम आब्जर्वेशन के लिए जिला अस्पताल, बिजनौर रेफर किया गया है। उपचार के दौरान 1.रमेशिया 2.अनीता व 3.शीतू की मृत्यु हो गयी थी तथा पुखराज वर्तमान में उपचाराधीन है।

इस सम्बंध में पुखराज की पुत्री पूनम द्वारा चांदपुर एवं नूरपुर की फाइनेन्स कम्पनी एवं 09 नफर नामजद द्वारा वादिया के पिता को कर्ज चुकाने के लिये प्रताडित करने, जिस कारण दिनांक 26.06.2025 को समय करीब सुबह 07.00 बजे वादिया के पिता पुखराज, मां रमेशिया, बहन शीतू व अनीता ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 217/25 धारा 108 बीएनएस बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि वादिया के पिता पुखराज द्वारा वर्ष 2023 में नूरपुर की स्वाभिमान उर्फ जना स्मॉल फाईनेन्स कम्पनी से ऋण लिया था। किस्त टूटने पर किस्त लेने हेतु एजेन्ट मोहित पुत्र रतीराम निवासी ग्राम सीकरी थाना कीरतपुर जनपद बिजनौर पुखराज के घर पर आता था तथा बार-बार पुखराज को फोन करके किस्त के पैसो की मांग करता था ओर उसे धमकाता था। एजेन्ट द्वारा दिनांक 19.06.2025, 20.06.2025, 23.06.2025, 24.06.2025 व 25.06.2025 को लगातार पुखराज को फोन करके प्रताडित किया गया और कहा गया कि या तो किस्त जमा कर दो अन्यथा तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। अब तक की विवेचनात्मक कार्यवाही से मोहित पुत्र रतीराम निवासी ग्राम सीकरी थाना कीरतपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 29.06.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त मोहित पुत्र रतीराम निवासी ग्राम सीकरी थाना कीरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अन्य के विरुद्ध गहनता से विवेचना की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहित पुत्र रतीराम निवासी ग्राम सीकरी थाना कीरतपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

निल

बरामदगी –

मोबाइल फोन सैमसंग ग्रे A 15

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. हे0 कां0 561 राजू सागर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. म0 कां0 सविता चौधरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक - 29.06.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.06.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नगीना	शहजाद पुत्र मौ0 शमी निवासी मौ0 कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर।
2	बढापुर	देशराज पुत्र लक्खा निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
3	बढापुर	सुरेन्द्र पुत्र देशराजसी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
4	बढापुर	रणजीत पुत्र देशराज निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
5	बढापुर	कश्मीर सिंह पुत्र बूढ सिंह निवासी चम्पतपुर चकला थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना मण्डावली **दिनांक 29.06.2025**

थाना मण्डावली पुलिस ने मु0अ0सं0 80/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/316(2)/61(2)/352/351(2) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.06.2025 को वादी ने थाना मण्डावली पर तहरीर दी कि अभियुक्त मौ0 आसिम जलाल सहित 04 नामित गण द्वारा धोखादडी करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा कराने के नाम पर वादी से 08,70,000 रुपये तथा अन्य 13 व्यक्तियों से 60,78,000 रुपये हडप लिये गए तथा पैसे वापस मांगने पर पैसे वापस न देकर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 80/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/316(2)/61(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 29.06.2025 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त मौ0 आसिम जलाल पुत्र कासिम निवासी मौहल्ला हसनपुरा बसी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मौ0 आसिम जलाल पुत्र कासिम निवासी मौहल्ला हसनपुरा बसी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.थानाध्यक्ष उ0नि0 रामप्रताप सिंह, थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 चांदमियाँ थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी नरेन्द्र थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

4.आरक्षी धर्मेन्द्र थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक 29.06.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरणः-

जनपद मे अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अथवा अपने साथ अवैध शस्त्रो को रखने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त बिट्टू पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम सैंदवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 380/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बिट्टू पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम सैंदवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

एक अवैध चाकू

अभियुक्त बिट्टू का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 380/25 धारा 4/25 आयुध अधनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 65/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.आरक्षी अर्जुन तोमर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी रणजीत मलिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर   दिनांक 29.06.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 162/25 धारा 126(2)/191(2)/190/115(2)/351(3)/109(1) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.03.2025 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त मांगेराम निवासी मझौला गुर्जर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर व 05 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रास्ता रोक कर वादी के साथ जान से मारने की नियत से लाठी/डन्डो व लोहे की रॉड आदि से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 162/25 धारा 126(2)/191(2)/190/115(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1.अरूण कुमार पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम मुकरपुर गुर्जर थाना हीमपुरदीपा जनपद बिजनौर व 2.विकास कुमार पुत्र परवेन्द्र निवासी ग्राम उलेढा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया तथा अभियोग मे धारा 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गई।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 29.06.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त अरूण कुमार पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम मुकरपुर गुर्जर थाना हीमपुरदीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अरूण कुमार पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम मुकरपुर गुर्जर थाना हीमपुरदीपा जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरूण-

मु0अ0सं0 162/2025 धारा 126(2)/191(2)/190/115(2)/351(3)/109(1) बीएनएस थाना चादपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.व0उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी श्यामवीर सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी मुकेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।